[2018] 6 एस. सी. आर 776

मैंगैमल @थुलासी और ए. एन. आर.

वी.

टी. बी. राजू और ओआरएस।

(2009 की सिविल अपील सं. 1933)

अप्रैल 19,2018

[आर. के. अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे, जे. जे.]

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 - धारा 29-ए-सह-आंशिक संपत्ति में बेटी का अधिकार-उत्तरजीविता द्वारा उत्तराधिकार-के पिता

अपीलार्थी-बेटियाँ और प्रत्यर्थी नं। 1 - पुत्र का निधन हो गया और पैतृक संपत्तियों को छोड़ दिया गया-संपत्तियों को प्रतिवादी संख्या को पट्टे पर दिया गया था। 2 4 तक अपीलार्थियों की माता के जीवनकाल के दौरान और प्रत्यर्थी सं। 1 - पट्टा अवधि के दौरान, उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद, प्रत्यर्थी नं. 1 प्रत्यर्थी संख्या। 2 4 तक-अपीलकर्ताओं ने प्रत्यर्थी सं. 1 विभाजन के लिए

और संपत्तियों का अलग कब्जा-निचली अदालत ने अपीलकर्ताओं द्वारा अभिनिर्धारित मुकदमे को खारिज करते हुए-वादी किसी भी विभाजन के हकदार नहीं थे-अपील को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। यू/एस। 29 - अधिनियम की ए, एक सह-भागीदार की एकमात्र अविवाहित बेटी

एस के एक सादे पठन पर हिंदू संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में विभाजन का दावा करने का हकदार है। 29 - ए, यह स्पष्ट है, अन्य बातों के साथ-साथ, एक सह-भागीदार की बेटी की शादी उस समय नहीं होनी चाहिए थी जब

1989 के संशोधन की शुरुआत-तत्काल मामले में, यह स्थिति स्वीकार की जाती है कि दोनों अपीलार्थियों-बेटियों की शादी 1989 के संशोधन के प्रारंभ से पहले हुई थी-इसलिए, धाराओं के खंड (iv) को ध्यान में रखते हुए। 29 - ए, अपीलार्थी विभाजन और अलग कब्जे के लिए मुकदमा शुरू नहीं कर सकते थे क्योंकि वे सह-पक्षकार नहीं थे-हालाँकि, मामले के रिकॉर्ड से, अपीलार्थी के पिता के हाथ में सह-पक्षकार की संपत्ति के बीच विभाजन हो गया।

उसे और उसके बेटे-उत्तरदाता नहीं। 1 इस तरह के विभाजन में, अपीलार्थियों के पिता को 1⁄2 हिस्सा और प्रतिवादी को 1⁄2 हिस्सा मिला। 1 अब, अपीलार्थियों के पिता के हाथ में छोड़ी गई संपत्ति उनकी अलग संपत्ति होगी-उनकी मृत्यु पर, ऐसी अलग संपत्ति एस. एस. के नियमों को लागू करके उत्तराधिकार के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। 8 , 9 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 का 10-इसलिए, अपीलार्थी नहीं

1989 के संशोधन को ध्यान में रखते हुए वे सह-भागीदार नहीं होने के कारण सह-सहभागी संपत्ति में किसी भी हिस्से के हकदार थे-हालाँकि, मृत्यु पर

उनके पिता और माता, अपीलार्थियों-बेटियों को उनके

776 मैंगैमल @थुलासी और ए. एन. आर. वी. टी. बी. राजू

उत्तराधिकार के माध्यम से संपत्ति-हिंदू उत्तराधिकार (तमिलनाडु)

संशोधन) अधिनियम, 1989।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. यह निर्विवाद तथ्य है कि 'टी. जी. बी.', अपीलार्थियों के पिता और प्रतिवादी नं. 1 , केवल पैतृक संपत्ति थी

और उन्होंने अपने पीछे कोई स्व-अर्जित संपत्ति नहीं छोड़ी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 29-ए के नए जोड़े गए प्रावधान को सरलता से पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि अन्य बातों के साथ-साथ सह-भागीदार की बेटी की शादी उस समय नहीं होनी चाहिए थी जब

1989 के संशोधन की शुरुआत। दूसरे शब्दों में, केवल एक सह-भागीदार की अविवाहित बेटी ही हिंदू संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में विभाजन का दावा करने की हकदार है। तत्काल मामले में, यह स्थिति स्वीकार की जाती है कि दोनों अपीलार्थियों ने 1989 के संशोधन के प्रारंभ से पहले शादी कर ली थी। इसलिए, अधिनियम की धारा 29-ए के खंड (iv) को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता विभाजन और अलग कब्जे के लिए मुकदमा शुरू नहीं कर सकते थे।

उदाहरण के लिए वे सह-भागीदार नहीं थे। [पैरा 9] [783-सी-ई] 2.1 हालांकि, जैसा कि मामले के रिकॉर्ड से और पक्षों के विवाद को देखते हुए भी दिखाई देता है, सह-पक्षकार

'टी. जी. बी.' के हाथ में संपत्ति उनके और उनके बेटे-प्रतिवादी संख्या 1 के बीच विभाजित हो गई। इस तरह के विभाजन में, 'टी. जी. बी.' को 1⁄2 हिस्सा मिला और प्रतिवादी नं. 1 1⁄2 शेयर भी मिला। अब 'टी. जी. बी.' के हाथ में बची हुई संपत्ति उनकी अलग संपत्ति होगी। उनकी मृत्यु पर, इस तरह की अलग संपत्ति उत्तराधिकार के माध्यम से हस्तांतरित होगी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8,9 और 10 के नियमों को निम्नलिखित तरीके से लागू करनाः

विधवा यानी अपीलार्थियों की माँ को 4 पद मिलेंगे।

.

आधा हिस्सा जो 1/8 है।

बेटी-अपीलकर्ता संख्या 1 को आधे हिस्से का% मिलेगा

जो 1/8 है।

बेटी-अपीलार्थी संख्या 2 को आधे का% मिलेगा

हिस्सा जो 1/8 पर है।

बेटा-उत्तरदाता नंबर 1 को आधे हिस्से का% मिलेगा

जो 1/8 है। यह 1/8 हिस्सा उस आधे हिस्से के अतिरिक्त होगा जो उसे विभाजन में मिला था। [पैरा 12]

2.2 विधवा की मृत्यु पर, यानी अपीलार्थियों की माँ, उसका 1/8 हिस्सा जो उसे उत्तराधिकार में मिला, उसके माध्यम से हस्तांतरित किया जाएगा।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 और 16 के नियमों को निम्नलिखित तरीके से लागू करके उत्तराधिकारः

बेटी-अपीलार्थी संख्या 1 को 1/8 में से 1/3 मिलेगा।

जो 1/24 पर खड़ा है।

बेटी-अपीलार्थी संख्या 2 को 1/8 का 1/3 मिलेगा।

जो 1/24 पर खड़ा है।

बेटा-उत्तरदाता संख्या 1 को 1/8 का 1/3 मिलेगा जो यह 1/24 पर खड़ा है।

प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम हिस्साः

1. बेटी-अपीलार्थी संख्या 1, कुल हिस्सा 1/8 + होगा।

1/24 = 4/24 या 1/6।

2. बेटी-अपीलार्थी संख्या 2, कुल हिस्सा 1/8 + होगा।

1/24 = 4/24 या 1/6।

3. बेटा-उत्तरदाता संख्या 1, कुल हिस्सेदारी 1/2 + 1/8 + 1/24 = 16/24 या 2/3 होगी। [पैरा 13] [785-बी-ई]

3. कोई भी बिक्री जो प्रतिवादी संख्या को की गई हो। 2 & 3 दो बिक्री विलेखों के अनुसरण में अब और व्यवधान नहीं होगा। इसके बदले में, अपीलार्थी अपने वैध हिस्से, यदि कोई हो, के हकदार होंगे, जो ऐसी संपत्तियों में उनके थे और जिन्हें प्रत्यर्थी संख्या 1 से धन या उतनी ही राशि की किसी अन्य संपत्ति के माध्यम से बिक्री विलेखों के माध्यम से बेचा गया था। संपत्तियों की कीमत की गणना दर के अनुसार की जाएगी।

बिक्री विलेखों की तारीख से लेकर धन के भुगतान या संपत्ति के हस्तांतरण तक क्रमशः 9 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ बिक्री विलेखों की तारीख पर प्रचलित है। यहाँ, वैध हिस्से का अर्थ है वह हिस्सा जो अपीलकर्ताओं को संपत्ति के विभाजन के माध्यम से मिला है जैसा कि उल्लेख किया गया है। [पैरा 14] [785-एफ-एच]

4. मामले को सारांशित करने के लिए, अपीलार्थी सह-पक्षीय संपत्ति में किसी भी हिस्से के हकदार नहीं हैं क्योंकि वे नहीं थे

1989 के संशोधन को ध्यान में रखते हुए सह-भागीदार। हालाँकि, अपने पिता और माता की मृत्यु पर, अपीलकर्ताओं को उनकी संपत्ति मिल जाएगी। उपरोक्त तरीके से उत्तराधिकार के माध्यम से।

[पैरा 15] [786-ए-बी] मैंगैमल @थुलासी और ए. एन. आर. वी. टी. बी. राजू

प्रकाश और ओआरएस। वी. फुलावती और ओआरएस। (2016) 2 एससीसी 36;

दानम्मा @सुमन सुरपुर और अन्र। वी. अमर और ओआरएस।

2018 (1) स्केल 657 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

(2016) 2 एससीसी 36

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

2018 (1) स्केल 657

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1933

2009 का

उच्च न्यायालय के 18.09.2006 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2006 के एस. ए. सं. 780 में मद्रास में न्यायिक कार्य।

वी. प्रभाकर, सुश्री ज्योति पराशर, एन. डी. राम चंदर (के लिए)

श्रीमती रेवती राघवन), अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

पुनीत के. जी., सुश्री आस्था शर्मा, मोहित पॉल, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. के. अग्रवाल, जे. 1. इस अपील के खिलाफ वरीयता दी जाती है

मद्रास में उच्च न्यायालय द्वारा 2006 के एस. ए. सं. 780 में पारित दिनांक 1 का विवादित निर्णय और आदेश जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थियों द्वारा दायर अपील को प्रवेश स्तर पर खारिज कर दिया।

2. संक्षिप्त तथ्यः

(क) अपीलार्थियों का मामला, संक्षेप में, यह है कि अपीलार्थी

इसमें स्वर्गीय श्री टी. जी. बसुवन (<आई. डी. 1 पर निधन) और स्वर्गीय श्रीमती की बेटियाँ हैं। सुंदरी (22.07.1989 पर मृत्यु हो गई) जबकि प्रतिवादी संख्या 1 अपीलार्थियों का भाई है। स्वर्गीय टी. जी. बसुवन ने कृषि भूमि (मद संख्या) सहित तीन संपत्तियां छोड़ी थीं। 1 & 2) और आवास (मद संख्या 3)

(ख) बाद में, प्रतिवादी के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण

नंबर 1, आइटम नंबर पर सूट प्रॉपर्टीज। 1 और 2 प्रत्यर्थी संख्या को पट्टे पर दिए गए थे। 2 4 यहाँ अपीलार्थियों की माता के जीवनकाल के दौरान।

(ग) पट्टा अवधि के दौरान, अपीलार्थियों की माँ की मृत्यु हो गई। उस पर

उक्त पट्टा विलेख की समाप्ति, कानूनी सूचना [2018] 6 एस. सी. आर. के माध्यम से अपीलार्थी।

(घ) व्यथित होने के कारण, अपीलकर्ताओं ने 2003 की ओ. एस. सं. 202 के रूप में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विभाजन और अलग करने की प्रार्थना की गई। सूट संपत्तियों का कब्जा जिसमें तीन आइटम शामिल थे, अर्थात् कृषि भूमि (आइटम संख्या। 1 और 2) और निर्मित भवन के साथ निर्माण स्थल (वस्तु संख्या 3) और भाई को प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में और पट्टेदार/बाद के खरीदारों को प्रतिवादी संख्या के रूप में व्यवस्थित किया। 2 4 तक। इसमें अपीलकर्ता मूल वाद में वादी थे।

(ङ) विचारण न्यायालय ने मुकदमे की विस्तार से सुनवाई करने के बाद, इसे खारिज कर दिया, 28.09.2004 दिनांकित निर्णय के माध्यम से, अन्य बातों के साथ, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि

वाद प्रतिवादी संख्या 1 का सृजन है और वादी, जो प्रतिवादी संख्या 1 के हाथों की कठपुतली हैं, किसी भी विभाजन के हकदार नहीं हैं।

(च) असंतुष्ट होकर, अपीलार्थी इस मामले को जिला न्यायाधीश, उधगमंडलम के समक्ष ले गए। विद्वान जिला न्यायाधीश, फैसले के माध्यम से

दिनांक 14.12.2005, ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए अपील को खारिज कर दिया। (छ) निर्णय से व्यथित महसूस करते हुए, अपीलकर्ताओं ने मद्रास में उच्च न्यायालय के समक्ष 2006 की 780 नंबर की दूसरी अपील को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 18.09.2006 के आदेश के माध्यम से प्रवेश स्तर पर ही अपील को खारिज कर दिया।

(ज) नतीजतन, यह अपील विशेष अनुमति के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई है। 3. हमने दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की दलीलों पर अपना आग्रहपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर प्रासंगिक सामग्री का अध्ययन किया है।

विचार के लिए बिंदुः

4. इस न्यायालय के समक्ष जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या मामले के वर्तमान विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, कोई उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है?

मैंगैमल @थुलासी और ए. एन. आर. वी. टी. बी. राजू [आर. के. अग्रवाल, जे.]

प्रतिद्वंद्वी विवादः

एक या अधिक सह-भागीदारों द्वारा विभाजन के लिए मुकदमा दायर करने के लिए, इसलिए विभाजन के लिए मुकदमे को समय द्वारा वर्जित होने के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि विभाजन के लिए एक मुकदमे को यह मानते हुए खारिज कर दिया गया था कि अपीलार्थी इनमें बेदखल किए जाने की तारीख से 12 वर्षों के भीतर मुकदमा दायर नहीं किया गया है, विशेष रूप से जब बेदखल किए जाने को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है और प्रतिवादी अपील करने और निष्कासन साबित करने में विफल रहे हैं, तो कानून की नजर में इसे कायम नहीं रखा जा सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को सीमा पर अलग रखा जा सकता है।

6. इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 1 कभी भी शराबी नहीं रहा था और अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में की गई बिक्री को विफल करने के लिए ऐसे आरोप लगाए थे। 2 और 3 और यह कि उनकी माँ के जीवनकाल के दौरान, वाद संपत्तियाँ अविभाजित रहीं और वस्तु संख्या में संपत्तियाँ। 1 और 2 को कानूनी रूप से प्रतिवादी संख्या को बेच दिया गया है। 2 और 3, इसलिए, विभाजन और अलग अधिकार की मांग का सवाल किसी भी परिस्थिति में उत्पन्न नहीं होता है। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि उच्च न्यायालय ने प्रवेश मामले में मामले को सही ढंग से खारिज कर दिया। इसलिए यह याचिका भी खारिज की जानी चाहिए। अन्य प्रत्यर्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि वे मुकदमे की संपत्ति के प्रामाणिक खरीदार हैं, इसलिए, यह अपील गुण-दोष से रहित होने के कारण खारिज की जानी चाहिए।

चर्चाः

7. आगे बढ़ने से पहले, संक्षेप में पैतृक संपत्ति की अवधारणा की समझ होना उचित है। विरासत में मिली कोई भी संपत्ति

पिता से पुरुष वंश की चार पीढ़ियों तक, पिता के पिता या पिता के पिता यानी पिता, दादा आदि को पैतृक संपत्ति कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, माँ, दादी, चाचा और यहाँ तक कि भाई से विरासत में मिली संपत्ति पैतृक संपत्ति नहीं है। पैतृक संपत्ति में,

जन्म पर सह-भागीदार को संपत्ति का अधिकार प्राप्त होता है। पैतृक संपत्ति की अवधारणा प्राचीन काल से अस्तित्व में है। राज्य में

तमिलनाडु ने पैतृक संपत्ति में महिलाओं को समान स्थान देने के लिए वर्ष 1989 में राज्य सरकार ने हिंदू कानून लागू किया।

उत्तराधिकार (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 1989 मार्च [2018] 6 एस. सी. आर.

989 जिसने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में एक संशोधन लाया, (संक्षिप्तता के लिए "अधिनियम") धारा 29-ए को अध्याय II-ए द्वारा उत्तरजीविता द्वारा उत्तराधिकार का शीर्षक जोड़कर। यह प्रजनन के लिए उपयुक्त है।

नीचे आई. डी. प्रावधान है।

29 - ए. सह-पक्षीय संपत्ति में बेटी को समान अधिकार

(i) मिताक्षर कानून द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार में, एक सह-भागीदार की बेटी जन्म से ही एक बेटे की तरह अपने अधिकार में सह-भागीदार बनेगी और सह-भागीदार संपत्ति में उसे उतने ही अधिकार होंगे जितने उसे होते अगर वह एक बेटा था, जिसमें उत्तरजीविता द्वारा दावा करने का अधिकार शामिल थाः और उसके संबंध में पुत्र के समान देनदारियों और अक्षमताओं के अधीन होगाः

((ii) ऐसे संयुक्त परिवार में किसी विभाजन पर सह-सहभागी संपत्ति

इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि बेटी को वही हिस्सा आवंटित किया जाए जो है

एक बेटे को आबंटित करने योग्यः

बशर्ते कि वह हिस्सा जो एक पूर्व-मृत पुत्र या एक पूर्व-मृत पुत्र

यदि मृतक बेटी विभाजन के समय जीवित होती तो उसे ऐसे पूर्व-मृत बेटे या ऐसी पूर्व-मृत बेटी के जीवित बच्चे को आवंटित किया जाताः

बशर्ते कि पूर्व-मृत बेटे या पूर्व-मृत बेटी के पूर्व-मृत बच्चे को आबंटित हिस्सा, यदि ऐसा बच्चा विभाजन के समय जीवित था, तो पूर्व-मृत बेटे या पूर्व-मृत बेटी के ऐसे पूर्व-मृत बच्चे के बच्चे को, जो भी मामला हो, आवंटित किया जाएगाः

((ग) ऐसी कोई संपत्ति जिसके लिए एक महिला हिंदू खंड (i) के प्रावधानों के आधार पर हकदार हो जाती है, उसके पास होगी -

सह-स्वामित्व की घटनाओं पर विचार किया जाएगा और

इस अधिनियम या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, निपटाने में सक्षम संपत्ति के रूप में

उसके द्वारा वसीयत या अन्य वसीयती स्वभाव सेः ((iv) इस अध्याय की कोई बात हिंदू उत्तराधिकार के प्रारंभ की तारीख से पहले विवाहित बेटी पर लागू नहीं होगी।

(तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 1989:

(v) खंड (ii) में कुछ भी उस विभाजन पर लागू नहीं होगा जो हिंदू धर्म के प्रारंभ की तारीख से पहले प्रभावी हुआ था। उत्तराधिकार (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 1989।

मैंगैमल @थुलासी और ए. एन. आर. वी. टी. बी. राजू [आर. के. अग्रवाल, जे.]

8. इस मोड़ पर, यह जांचा जाना है कि क्या अपीलार्थी

संशोधन को देखते हुए पैतृक संपत्ति में विभाजन का दावा करने के हकदार थे? यदि इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है तो ही विवाद का आगे का निर्धारण होगा। संशोधन से पहले, यह केवल पुरुष था जो सह-भागीदार होता और विभाजन का दावा करने और संयुक्त परिवार की संपत्ति से भाग लेने का हकदार होता। दूसरी ओर, बेटी को विभाजन का और विभाजन में हिस्से का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था। पैतृक संपत्ति क्योंकि वह सह-भागीदार नहीं थी। अधिक से अधिक, विभाजन के समय, वह केवल उचित रखरखाव और विवाह के खर्च की मांग कर सकती थी।

9. एक लंबी कहानी को छोटा करने के लिए, यह निर्विवाद तथ्य है कि स्वर्गीय टी. जी.

अपीलार्थियों के पिता बसुवन के पास केवल पैतृक संपत्ति थी और उन्होंने अपने पीछे कोई स्व-अर्जित संपत्ति नहीं छोड़ी थी। अधिनियम की धारा 29-ए के नए जोड़े गए प्रावधान को सीधे पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि अन्य बातों के साथ-साथ, किसी सह-भागीदार की बेटी की शादी 1989 के संशोधन के प्रारंभ के समय नहीं होनी चाहिए थी। दूसरे शब्दों में, केवल एक सह-भागीदार की अविवाहित बेटी ही हिंदू संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में विभाजन का दावा करने की हकदार है। तत्काल मामले में, यह स्थिति स्वीकार की जाती है कि दोनों अपीलार्थियों, अर्थात् मंगम्मल की शादी वर्ष 1981 में हुई थी और इंदिरा की शादी 1984 में या उसके आसपास हुई थी।

संशोधन) अधिनियम, 1989, अपीलकर्ता विभाजन और अलग कब्जे के लिए मुकदमा शुरू नहीं कर सकते थे क्योंकि वे नहीं थे सह-भागीदार।

10. इसके अलावा, अधिनियम की धारा 29-ए के तहत, विधायिका ने उपयोग किया है

शब्द "एक सह-भागीदार की बेटी"। यहाँ, इस तरह के शब्दों के निहितार्थ का मतलब है कि सह-भागीदार के साथ-साथ बेटी दोनों को जीवित होना चाहिए 1989 के संशोधन के प्रारंभ के समय इस प्रावधान का लाभ प्राप्त करना। इसी तरह का मुद्दा प्रकाश एंड ओआरएस मामले में इस अदालत के समक्ष विचार के लिए आया। बनाम फुलावती और अन्य। , (2016) 2 एस. सी. सी. 36, यह न्यायालय पैरा 23 में अभिनिर्धारित समान मामले पर विचार करते हुए निम्नानुसार हैः

23. तदनुसार, हम मानते हैं कि संशोधन के तहत अधिकार हैं

9 तारीख को जीवित सह-भागीदारों की जीवित बेटियों पर लागू

सितंबर, 2005 भले ही ऐसी बेटियाँ हों

जन्म लिया "।

(हमारे द्वारा प्रदान किया गया जोर)

अन्य बातों के साथ-साथ, पैतृक संपत्ति में बेटी के अधिकार के विवाद के साथ। उपरोक्त मामले में, बेटी के पिता की 2001 में मृत्यु हो गई, फिर भी अदालत ने बेटी को पैतृक संपत्ति में अधिकार का दावा करने की अनुमति दी।

2005 में संशोधन। निर्णय के अवलोकन पर और दानम्मा (उपरोक्त) के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय की खंड पीठ ने मुख्य रूप से पिता की मृत्यु के मुद्दे पर विचार नहीं किया, बल्कि यह मुख्य रूप से कानून के सवाल से संबंधित था कि क्या 2005 के संशोधन से पहले पैदा हुई बेटी को पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने का अधिकार है या नहीं? ऐसी परिस्थितियों में, हमारे विचार में, प्रकाश और अन्य। (उपर्युक्त), अभी भी पैतृक संपत्ति में बेटी के अधिकार के उद्देश्य से सह-भागीदार की मृत्यु के मुद्दे पर पूर्ववर्ती होगा। संक्षेप में कहें तो केवल जीवित सह-भागीदारों की जीवित बेटियाँ ही पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने की हकदार होंगी।

11. इसलिए, वर्तमान मामले में किसी अन्य पहलू को छुए बिना, हमारा विचार है कि अपीलार्थी मामले में सह-पक्षकार नहीं थे।

1989 के संशोधन को ध्यान में रखते हुए हिंदू संयुक्त पारिवारिक संपत्ति, इसलिए, वे पहली बार में विभाजन और अलग कब्जे का दावा करने के हकदार नहीं थे। अधिक से अधिक, यदि स्थिति आवश्यक हो तो वे रखरखाव और विवाह के खर्च का दावा कर सकते हैं।

संपत्ति का विभाजनः

स्वर्गीय टी. जी. बसुवन का हाथ उनके और उनके बेटे के बीच बंट गया। T.B.Raju-उत्तरदाता संख्या 1। ऐसे विभाजन में स्वर्गीय टी. जी. बसुवन को आधा हिस्सा और टी. बी. राजू को भी आधा हिस्सा मिला। अब स्वर्गीय टी. जी. बसुवन के हाथ में छोड़ी गई संपत्ति उनकी अलग संपत्ति होगी। उनकी मृत्यु पर,

ऐसी अलग संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8,9 और 10 के नियमों को निम्नलिखित तरीके से लागू करके उत्तराधिकार के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगीः

विधवा यानी अपीलार्थियों की माँ को आधे का 1⁄4 हिस्सा मिलेगा।

हिस्सा जो 1/8 पर है।

बेटी मंगम्मल-अपीलार्थी संख्या 1 को आधे में से 4 मिलेंगे।

आई.

हिस्सा जो 1/8 पर है।

बेटी इंदिरा-अपीलार्थी संख्या 2 को आधे में से 4 मिलेंगे।

हिस्सा जो 1/8 पर है।

बेटा T.B.Raju-उत्तरदाता नंबर 1 को आधे हिस्से में से 4 मिलेगा जो 1/8 है। यह 1/8 हिस्सा अतिरिक्त होगा। 1⁄2 हिस्सा जो उन्हें विभाजन में मिला था।

13. विधवा की मृत्यु पर, यानी अपीलार्थियों की माँ, उसका एक तिहाई हिस्सा जो उसे उत्तराधिकार में मिला, उत्तराधिकार के माध्यम से हस्तांतरित किया जाएगा।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 और 16 के नियमों को निम्नलिखित तरीके से लागू करके:

बेटी मंगम्मल-अपीलार्थी संख्या 1 को 1/8 में से 1/3 मिलेगा जो 1/24 है। बेटी इंदिरा-अपीलार्थी संख्या 2 को 1/8 में से 1/3 मिलेगा।

जो 1/24 पर खड़ा है। बेटा T.B.Raju-उत्तरदाता संख्या 1 को 1/8 का 1/3 मिलेगा जो 1/24 पर खड़ा है।

प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम हिस्साः

1. बेटी मंगम्मल-अपीलार्थी संख्या 1, कुल हिस्सा होगा

1/8 + 1/24 = 4/24 या 1/6।

2. बेटी इंदिरा-अपीलार्थी संख्या 2, कुल हिस्सा 1/8 + होगा।

1/24 = 4/24 या 1/6।

3. बेटा टी. बी.-उत्तरदाता संख्या 1, कुल हिस्सेदारी 1⁄2 + 1/8 + होगी।

1/24 = 16/24 या 2/3।

14. इस मोड़ पर, हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि कोई भी बिक्री जो प्रतिवादी संख्या को की गई हो। 2 & 3 दो बिक्री विलेखों के अनुसरण में दिनांकित 03.04.1996 और 24.08.1998 को अब और बाधित नहीं किया जाएगा। उसी के बदले में, अपीलार्थी अपने

वैध हिस्सा, यदि कोई हो, जो ऐसी संपत्तियों में उनका था और जिसे प्रत्यर्थी संख्या 1 से धन या उतनी ही राशि की किसी अन्य संपत्ति के माध्यम से बिक्री विलेखों के माध्यम से बेचा गया था। इसकी कीमत संपत्तियों की गणना बिक्री विलेखों की तारीख पर प्रचलित दर के अनुसार की जाएगी, साथ ही बिक्री विलेखों की तारीख से धन के भुगतान या हस्तांतरण तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा।

संपत्ति। यहाँ, वैध शेयर का अर्थ है वह हिस्सा जो अपीलकर्ताओं को संपत्ति के विभाजन के माध्यम से मिला है जैसा कि पैराग्राफ में ऊपर उल्लेख किया गया है।

नं. 12 और 13.

ए.

15. मामले को सारांशित करने के लिए, अपीलार्थी किसी भी अधिकार के हकदार नहीं हैं 1989 के संशोधन को देखते हुए वे सह-भागीदार नहीं थे, इसलिए वे सह-भागीदार संपत्ति में हिस्सेदारी रखते थे। हालाँकि, अपने पिता और माता की मृत्यु पर, अपीलार्थी उपरोक्त तरीके से उत्तराधिकार के माध्यम से अपनी संपत्ति प्राप्त करेंगे।

16. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम आंशिक रूप से अनुमति देते हैं

बी.

उपरोक्त शर्तों में पक्षकारों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ कर अपील करें।

अंकित ज्ञान